

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड बून्दी

क्रमांक / निविदा / 2021-22 /

दिनांक:

निविदा सूचना संख्या 10 वर्ष 2021-22


राजस्थान के राज्यपाल महोदय की और से निम्न निर्माण कार्यों के लिए वित्त विभाग के राजस्थान लोक उपायन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6&7) के तहत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से मोहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं इस कार्यालय मे दिनांक 19.07.2021 से 28.07.2021 तक विक्रय की जाकर दिनांक 29.07.2021 को सांय 3.00 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त की जाएगी। उक्त निविदाएं दिनांक 29.07.2021 को सांयकाल 4.00 बजे इस कार्यालय में खोली जायेगी। सशर्त निविदा डाक/तार/फैक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से प्रेषित निविदा/धरोहर राशि के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्राप्ति एवं विक्रय की दिनांक में राजकीय अवकाश होने पर आगामी दिनांक को निविदा विक्रय एवं प्राप्त की जाएगी। समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र बून्दी होगा।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि 1%	धरोहर राशि 0.5%	निविदा शुल्क रू०	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-
1.	कम्प्युटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का कार्य वर्ष 2021-22 हेतु।	0.65	650	325	200	8 Month
2-	जैरोक्स कार्य वर्ष 2021-22 हेतु।	0.70	700	350	200	8 Month
3-	प्रिन्टर रिपेयर कार्य वर्ष 2021-22	0.30	300	150	200	8 Month
4-	Connecting road from Dhabayio ka nayagaon to protection bundth of badanayagaon MIP.	4.95	4950	2425	200	1 Months

शर्तें :-

1. निविदा के लिफाफे पर कार्य का नाम तथा निविदा देने वाले व्यक्ति/फर्म का पूरा नाम साफ एवं स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है।
2. आर.पी.डब्ल्यू.ए. 3फार्म 100 में अंकित सभी शर्तें 1.7.99 से प्रभावी पी.डब्ल्यू.एफ.एण्ड ए. आर. (सुसंगत सीमा तक प्रभावी), राजस्थान लोक उपायन मे पारदर्शिता नियम 2013 तथा समय समय पर किये गये संशोधन व विभागीय निर्देश निविदा में लागू होंगे।
3. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक /F2(99)AS/I/Cell/15/cutfile/206-11 दिनांक 11.01.2018 की अनुपालना में बिडर द्वारा जी अनुसूची दर से 15 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की जाती है तो सफल बोलीदाता से अन्तर की राशि (15 प्रतिशत दर से जितनी कम है।) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जायेगी।
4. बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. डाक/तार/ई-मेल द्वारा प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदा दरें 90 दिनो तक स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी।
7. राजस्थान सरकार वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2 (1)/वित्त/जीएण्डटी/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के क्रम में उक्त नियमों में बिड सिक्योरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्योरिटी के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (Declaration) 50 रु० स्टाम्प ड्यूटी देय है। तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। बिना बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र (Declaration) के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

नोट:- निविदा की शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in, www.waterresources.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।


अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड बून्दी